न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 151/2019 (RCMS : 2019/ 00282) अनवान जगरूप सिंह पुत्र श्री जसकरण सिंह 2. इकबाल कौर पत्नी जगरूप सिंह जाति जटसिख निवासी 2 डब्ल्यू गुरूसर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. कलविन्द्र सिंह पुत्र जगरूप सिंह 2 गुरसाहब सिंह पुत्र जगरूप सिंह जाति जटसिख निवासी 2 डब्ल्यू गुरूसर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर 3. पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) श्रीकरणपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

05.08.2020

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री मोहन लाल माहर की पर्चा पैरवी पर श्री शिवभगवान, अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है इसलिए यह प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी हो गया है और अब इसमे वह आगे कोई कार्यवाही नही चाहते है। अतः इसी आधार पर खारिज कर दिया जावे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 01/2019 अनुवानी जगरूप सिंह आदि बनाम कलविन्द्र सिंह वगैरहा में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। चूंकि अब तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद नर्मा)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर